

प्रेस नोट दि0-20.08.2025 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस-नोट दि0-20.08.2025

थाना-कोतवाली देहात, जनपद-प्रतापगढ़

➡ थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता -चोरी के अभियोग से सम्बन्धि अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

➡ थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार 01 अभियुक्त के कब्जे से चोरी की चोरी दो अदद केबल को बरामद किया गया व एक हीरो एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल नं0 72 एन 1949 सीज (धारा 207 एमवी एक्ट में)

➡ थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत टेंउगा ईट भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

घटना का विवरण-

दिनांक 18/19.08.2025 की रात्रि में बाजार खास सिटी टावर संख्या पीआरटीजी 9009 पर अज्ञात चोरों द्वारा पावर केबल करीब 8 फीट जमीन खोद कर काट ले गये। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 214/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह हे0का0 संजय भारती, का0 रित्नेश द्वारा चेकिंग सदिग्ध व्यक्ति, सदिग्ध वाहन, तलाश वाछित अपराधी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 214/2025 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स नं0 72 एन 194901 पर सवार अभियुक्त रणविजय वर्मा पुत्र ओम प्रकाश निवासी महदहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को चोरी की दो अदद केबल के साथ थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत टेंउगा के पास ईट भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया है । उक्त बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई । मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रणविजय वर्मा पुत्र ओम प्रकाश निवासी महदहा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैंने दिनांक 18/19.08.2025 कि रात में मैंने अपने एक साथी शिबू दुबे पुत्र प्रेमचंद निवासी तोखा का पुरवा डेरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर सिटी

प्रतापगढ़ के जिओ टावर में केवल चुराई थी। तथा उसी रात हल्ला गुहार शुरू हो जाने के कारण हड़बड़ाहट में केबल तथा अपनी बैग और एक कुदाल को बगल के खेत में छुपा कर हम दोनों लोग चले गए थे। आज मौका पाकर मैं केवल तथा अपना बैग खेत से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया मोटरसाइकिल पर पीछे की तरफ बंधी हुई दो अदद चोरी की केवल तथा एक बैग व एक कुदाल बरामद हुई बैग को चेक करके देखा गया तो उसमें दो कटर एक प्लास व दो पेचकस तथा एक बोरी रखा हुआ है इसके बारे में पूछने पर रणविजय वर्मा ने बताया कि पहले हम लोग कटर व प्लास से मेन लाइन काट देते हैं उसके बाद कुदाल की मदद से केवल खोदकर निकाल लेते हैं।

बरामदगी का विवरण-

चोरी दो अदद केबल

एक हीरो एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल नं0 72 एन 1949 सीज (धारा 207 एमवी एक्ट में)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह हे0का0 संजय भारती, का0 रिन्नेश थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि0-20.08.2025

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज के उ0नि0 विनोद कुमार चौरसिया के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर परिवाद संख्या 1064/25 से संबंधित 01 वारंटी मो0 शफीक पुत्र मो0 रईस निवासी ग्राम हण्डौर पूरे शेख थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 शफीक पुत्र मो0 रईस निवासी ग्राम हण्डौर पूरे शेख थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री विनोद कुमार चौरसिया थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।